



समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

142

क्रमांक-4458/2018/प्रियाण/भू-रा पुनरीक्षण याचिका क्रमांक...../2016

श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान आत्मज श्री के.एस. चौहान,
आयु-58 वर्ष, निवासी-एल.वी.-45, इण्डस गार्डन,
त्रिलंगा कॉलोनी, ई-8, शहर भोपाल (म.प्र.)

.....आवेदक /पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

श्रीमती सरोज प्रसाद पत्नी श्री भागीरथ प्रसाद,
आयु-वयस्क, निवासी-503, रेल कोच फैंक्ट्री कॉलोनी,
निशातपुरा, भोपाल (म.प्र.)

.....अनावेदक/उत्तरदाता

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अनावेदक/उत्तरदाता के द्वारा धारा-129 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959 के तहत बिना आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को सूचना दिये बगैर अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन करवाया था जिसका सीमांकन प्रकरण क्रमांक-37/अ-12/17-18 में स्वीकृत आदेश दिनांक 03/05/2018 से दुखित होकर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम-बाड़िया कला, प.ह.नं.-42, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.) की प्लॉट क्रमांक-362 जिसका क्षेत्रफल 9.14 मीटर गुणा 15.24 मीटर बराबर 139.40 वर्गमीटर है, जो कि खसरा क्रमांक-146/2/1/1/3, 146/2/1/1, 146/1/1/1, 146/1/1/3, 146/1/2/1/1, 146/1/2/1/3, 146/1/2/2/1, 146/1/2/2/3, 146/1/2/3/1, 96/2, 139-141/2/1/1, 144/1/1, 144/1/2/1/1/1, 158, 160/5, 161/3/1 कुल किता-12 का अंश भाग है, जिसे आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 15/11/2006 के माध्यम से पूर्व भूमि स्वामी श्री रोहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल द्वारा संचालक श्री एन.एल. रोहितास आत्मज श्री रामसिंह से कय किया था, जिसकी पुष्टि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में निष्पादित विक्रय-पत्र दिनांक 15/11/2006 से होती है।

2. यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 15/11/2006 के माध्यम से जो प्लॉट क्रमांक-362 जिसका क्षेत्रफल 9.14 मीटर गुणा 15.24 मीटर बराबर 139.40 वर्गमीटर है, जिसकी चतुर्थ सीमाओं में दिशा पूर्व में प्लॉट क्रमांक-361, दिशा पश्चिम में



1990
श्री. श्री. अमिताभ मालवीय
भू-रा भोपाल
16/11/18

100

BR(H)-11

सतेद सिंह / सरोजपुलाव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-4458/18/ना.प.वि. / 122

21

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-3-19	<p>आवेदन आशुतोष रीनेश सिंह चौहान उप. व अनापूर्व के अगु। प्रकरण नंबर देगु।</p> <p>दि 28-3-19 केम</p>	<p>(A)</p> <p>28/3/19</p>
28/3/19	<p>आवेदन उद्योगी श्री रीनेश सिंह चौहान उप. उद्योगी निगरानी मशर न्यायालय में पेश करने हेतु वापिस किये जाने का निवेदन किया। आवेदन उद्योगी के निवेदन पर प्रकरण उद्योगी सशक न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाये। प्रकरण दारिद्र्य रिकॉर्ड है।</p> <p>दि 28/3/19</p>	<p>28/3/2019</p> <p>नेने गजधनी के अगु</p> <p>सशक न्यायालय</p> <p>आवुत</p> <p>वापिस किये जा</p> <p>अनुमति</p> <p>दायी है</p> <p>न्यायालय</p> <p>आवेदन प्रस्तुत करे</p>